A 384925 से A 384926 — 25000×4=100000
A 300978 से A 300980 — 15000×3=45000
G 065518 — 5000×1=5000
M 238834 से M 238836 — 10000×3=30000
N 309015 — 1000×1=1000
P 573960 — 500×1=500
योग = 154500

8/10965
23 NOV 2015

(2)

॥ श्री ॥

लिखतम विक्रय पत्र कीम्ती 21,31,000/– इक्कीस लाख इकत्तीस हजार रूपये

भारतीय मुद्रा विधान के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क	1,06,550.00	रूपये
नगर निगम शुल्क	21,310.00	रूपये
जनपद पंचायत शुल्क	21,310.00	रूपये
उपकर	5330.00	रूपये
अतिरिक्त	00.00	रूपये
कुल योग	1,54,500.00	रूपये

नकल [illegible] सलग्न में......

यहकि, विक्रीत सम्पत्ति कृषि आराजी भूमि सिंचित है। जिसका बाजारू मूल्य 21,31,000/– रूपये है। विक्रीत कृषि भूमि रोड से लगभग 1000 मीटर से अधिक दूर स्थित है।

भू अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक	:	एल.एफ– 030951
स्थित – ग्राम पुरासानी	:	पटवारी हल्का नं. 74
राजस्व निरीक्षक मण्डल–महलगांव		विकास खण्ड– घाटीगांव
तहसील व जिला ग्वालियर		

यहकि, विक्रीत भूमि के विषयक किसी भी माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई रोक आदेश पारित नहीं है तथा म. प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 एवं पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 22क का उल्लंघन नही होता है।

विक्रीधन : 21,31,000/– अंकन इक्कीस लाख इकत्तीस हजार रूपये में से 2,00,000/– रूपये जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय अनुबंध पत्र क्रमांक 3503 दिनांक 07.02.2014 को नगद प्राप्त कर लिये एंव शेष धनराशि 19,31,000/– रूपये मुझ विक्रेता ने क्रेता से पूर्ण रूप से पूर्व में ही घर पर नगद गवाहनों के समक्ष प्राप्त करना स्वीकार है। इस प्रकार अब भविष्य में कुछ भी धनराशि लेना शेष नहीं रहा है ।

क्रमशः..............2

अध्यक्ष
श्री संत करतार सिंह कल्याण

विक्रेता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) झाँसीरोड, ग्वालियर

एस.डी.ओ.प्र.क्र. 06 / 2014-15/ 172 (1)

ओ.एस.डी.प्र.क्र. 03 / 2014-15 / 172 (1)

संत करतारसिंह कल्याण समिति ग्वालियर
द्वारा–अध्यक्ष श्री चंद्रपालसिंह कुशवाह, पुत्र श्री पहलवानसिंह कुशवाह
निवासी–44–इन्द्रा नगर थाटीपुर, ग्वालियर।

.... प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....प्रतिप्रार्थी

प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्यालय कलेक्टर
जिला ग्वालियर (म. प्र.)

आदेश पारित दिनांक 18.11.14

आवेदक संत करतारसिंह कल्याण समिति ग्वालियर द्वारा–अध्यक्ष श्री चंद्रपालसिंह कुशवाह, पुत्र श्री पहलवानसिंह कुशवाह, निवासी–44–इन्द्रा नगर थाटीपुर, ग्वालियर द्वारा ग्राम पुरासानी पटवारी हलका नंबर 74 तहसील व जिला ग्वालियर के सर्वे कमांक 522 में से रकवा 0.366 हेक्टेयर अर्थात 3660 वर्गमीटर भूमि पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अंतर्गत व्यवसायिक (शैक्षणिक) उपयोग हेतु डायवर्सन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के तहत पंजीवद्व किया गया।

राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। प्रकरण में कम्प्यूटराईज्ड नकल खसरा वर्ष 2013–14 की छायाप्रति एवं भूमि उपयोग मत की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर का पत्र कमांक 1262/UO/ 8717/न.ग्रा.नि./ 2014, ग्वालियर दिनांक 20–5–2014 द्वारा भूमि उपयोग "ग्वालियर विकास योजना 2005 के अनुसार ग्वालियर निवेश क्षेत्र सीमा से बाहर होकर, व्यापक रूप से कृषि है", तथा ग्वालियर विकास योजना 2021 में निवेश क्षेत्र से बाहर है"।

एस.एल.आर.डायवर्सन से प्रतिवेदन लिया गया, जिसमें डायवर्सन किये जाने की अनुशंसा की गई है। इनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि व्यवसायिक (शैक्षणिक) उपयोग हेतु रकवा 3660 वर्गमीटर पर डायवर्सन की अनुज्ञा देनें पर कृषि भूमि का बाजार मूल्य सिंचित 3850000/– प्रति हेक्टैयर दर से वार्षिक परिवर्तित भू–राजस्व रूपये 2818/–, पचायत उपकर 1409/– एवं प्रीमियम रूपये 14091/– इस प्रकार कुल रूपये 18318/– वर्ष 2014–15 से आवेदक पर देय होगा।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में संलग्न समस्त अभिलेखों का परीक्षण किया गया। उपरोक्तानुसार प्रश्नाधीन भूमि पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन की अनुमति प्रदान की जा सकती है । अतः म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये अभिलिखित भूमि स्वामी एवं आवेदक संत करतारसिंह कल्याण समिति ग्वालियर द्वारा–अध्यक्ष श्री चंद्रपालसिंह कुशवाह, पुत्र श्री पहलवानसिंह कुशवाह, निवासी–44–इन्द्रा नगर थाटीपुर, ग्वालियर द्वारा ग्राम पुरासानी पटवारी हलका नंबर 74 तहसील व जिला ग्वालियर के सर्वे कमांक 522 में से रकवा 0.366 हेक्टेयर अर्थात 3660 भूमि पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अतर्गत व्यवसायिक (शैक्षणिक) प्रयोजन हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन डायवर्सन की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

ATTESTED

V. S. Tomar
Notary, Gwalior

अध्यक्ष
श्री संत करतार सिंह कल्याण समिति

Com 04/ Local Disk E/ fol 2014/ Daiversion order 2014

सत्य प्रतिलिपि

8) 10963 23 NOV 2015

(4)

विक्रीत सम्पत्ति कृषि भूमि ब्लॉक जनपद पंचायत सीमा के बाहर स्थित होकर नगर निगम सीमा के अन्दर है । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सर्वे क्रमांक	रकवा	लगान
522 में से	0.680 हैक्टर	शा.मु.रे.
कुल किता 1	**कुल रकवा 0.680 हैक्टर में से रकवा 0.366 हैक्टर यानी 1 वीघा 15 विस्वा भूमि विक्रीत ।**	

जो कि, उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि को मय कुल स्वत्वों व दायित्वों के प्रतिफल 21,31,000/- अंकन इक्कीस लाख इकत्तीस हजार रूपये में वहक्क क्रेता **संत करतार सिह कल्याण समिति ग्वालियर द्वारा अध्यक्ष चन्द्रपाल सिंह कुशवाह पुत्र श्री पहलवान सिंह कुशवाह** को कतई विक्रय कर दी है यानी कि बेच दी है तथा सम्पूर्ण विक्रीत धनराशि उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है अब कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है। यदि भविष्य में मुझ विक्रेता द्वारा कम धन पाने बावत् या बिल्कुल न पाने बावत् कोई आपत्ति की जावे तो वह इस लिखतम विक्रय पत्र के समक्ष मिथ्या व अमान्य मानी जावेगी ।

यहकि, विक्रीत आराजी भूमि का मौका पर रिक्त आधिपत्य कब्जा क्रेता को सौंप दिया है जिसके पूर्व में- रास्ता कच्चा आने-जाने का, पश्चिम में- खेत केदार सिह, उत्तर में- खेत बृजेश श्रीवास्तव व अन्य कृषक व दक्षिण में- खेत दशरथ सिंह हैं । अब क्रेता को अधिकार होगा कि वह उक्त आराजी पर स्वयं कास्त करें, बटाई से काश्त करावें, उसको रहन, वय, दान, हिवा आदि करें एवं जिस प्रकार चाहे अपने उपयोग एवं उपभोग में लावे तथा कागजात सरकारी में जहां-जहां आवश्यकता हो वहां अपने नाम का इन्द्राज करावें, जिसमें मुझ विक्रेता अथवा मुझारे वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी, तात्पर्य है कि आज दिनांक तक जो स्वत्वाधिकार एवं सुखाधिकार उक्त आराजी पर मुझ विक्रेता को प्राप्त थे वे समस्त अधिकार इस लिखतम के सम्पादन के उपरांत से क्रेता को प्राप्त हो जावेंगे व भविष्य में प्राप्त रहेंगे ।

क्रमशः..............4

अध्यक्ष
श्री संत करतार सिंह कल्याण
समिति ग्वालियर

Building completion certificate should be obtained from the Engineer of Local Authority/Panchayat and PWD Engineer/RES Engineer

Certificate issued by any other person will not be accepted

BUILDING COMPLETION CERTIFICATE

I hereby certify that I have personally inspected the land and building mentioned below and the same is based on the registered documents/ data measurements and specifications found in the site:

1.	Date of inspection by the Engineer		01/12/2014
2.	Owner of the Land & Building with Address		Shri Sant Kartar Singh Kalyan samiti Gwalior
3.	Type of Ownership of land	Own/lease	Owned
4.	Location with Survey No., Street No., Ward No., Name of the Place, Corporation/Municipality/Panchayat		Survey No. 522, Village Purasani Tah. Gwalior, Distt. Gwalior (M.P.)
5.	Date of Registration of Land		27/03/2014.
6.	Registered in the office of Sub-Registrar with address		Sub-Registrar Office, Bada Lashkar Gwalior
7.	Building plan approved by (address of Corporation/Municipality/Panchayat		Sarpanch, Gram Panchayat Purasani Gwalior (M.P.)
8.	Year of construction		2014
9.	Purpose for which the building is being used/proposed to be used		Educational Purpose
10.	Details of construction of building Roofing – pl. mention RCC/ Asbestos/ Tiled/any other. (Pl. specify)		Area / Roofing Ground Floor 17776 Sq.ft. First Floor 5380 Sq.ft. Second Floor Sq.ft. Third Floor Sq.ft.
11.	Land usage certificate for Educational purposes from the concerned Govt. authorities obtained details		Date of issue of Certificate : 18/11/2014 Issued by : SDM Jhanshi Road, Gwalior

Verification of the above on site, I hereby certify that construction of the building is completed in all aspects and the building is structurally sound to be used for Education purposes.

Signature with Seal
Panchayat Sarpanch and Sachiv

सरपंच
ग्राम पंचायत पुरासानी
जनपद पंचायत घाटीगाँव (बरई)

Signature with seal
Name of the Engineer.........
Designation.........
Office Address.........

ATTESTED

V. S. Tomar
Notary, Gwalior